(वाद सं0.-4603/4/32/2020)

23.02.2021

प्रसंगाधीन मामला परिवादी, निलेश कुमार, कार्यपालक सहायक, (प्रधानमंत्री आवास योजना , ग्रामीण) का अनुपस्थिति विवरणी उपलब्ध कराने के बावजूद भी मानदेय भुगतान नहीं किये जाने से संबंधित है।

उक्त के संबंध में **उप विकास आयुक्त, सारण, छपरा** के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है " **श्री निलेश कुमार कार्यपालक सहायक प्रखण्ड माँझी के मानदेय का भुगतान माह नवम्बर 2020 तक किया जा चुका है।"**

अब जबकि राज्य आयोग के आदेश के अनुपालन में परिवादी के शिकायत का संबंधित प्राधिकार द्वारा समाधान कर भुगतान कर दिया गया है तो ऐसी परिस्थिति में **उप विकास आयुक्त, सारण, छपरा** के प्रतिवेदन को स्वीकार करते हुए प्रसंगाधीन मामले को मानवाधिकार अतिक्रमण की श्रेणी में ना पाकर प्रस्तुत संचिका को राज्य आयोग के स्तर पर **संचिकास्त** किया जाता है।

तद्नुसार **उप विकास आयुक्त, सारण, छपरा** से प्राप्त प्रतिवेदन (अनुलग्नको संहित) की प्रति संलग्न करते हुए आज पारित आदेष की प्रति के साथ **परिवादी** को सूचित कर दिया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सदस्य

निबंधक